भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1845

11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित करना

1845. डॉ. अमर सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), कल-पुर्जों के निर्माताओं और चार्जिंग/स्वैपिंग बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करने से देश में ईवी के लिए दीर्घकालिक व्यवहार्यता और भविष्य की भारी विकास क्षमता की संभावनाओं के साथ कई कंपनियां बाजार में आ सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : जी हां। सरकार इस बात से सहमत है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, संघटकों और चार्जिंग/स्वैपिंग अवसंरचना विनिर्माण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने से कई कंपनियां बाज़ार में आएँगी, देश में इलेक्ट्रिक वाहन दीर्घकाल में अर्थक्षम बनेंगे तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि को बल मिलेगा। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन पारितंत्र के अंगीकरण और सुदृढीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। विवरण निम्नानुसार हैः-

1. **ऑटोमोबिल और ऑटो घटक संबंधी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने 25,938 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पाद के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग हेतु इस स्कीम को 15.09.2021 को मंज़ूरी दी।

2. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-II:** सरकार ने ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-चौपहिया, ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कुल 11,500 करोड़ रुपए बजटीय सहायता वाली इस स्कीम को 01.04.2019 से क्रियान्वित किया।

3. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम संबंधी पीएलआई स्कीमः**सरकार ने देश में एसीसी विनिर्माण हेतु पीएलआई स्कीम को 12.05.2021 को अनुमोदित किया जिसका बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपए था। इस स्कीम का लक्ष्य 50 गीगावाट एसीसी बैटरी के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करना है।

4. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीमः** 10,900 करोड़ रुपए परिव्यय वाली इस स्कीम को ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रकों, ई-बसों, ई-एम्बुलेंसों और ईवी पीसीएस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान करने तथा वाहन परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन हेतु 29.09.2024 को अधिसूचित किया गया।

5. **पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीमः** 28.10.2024 को अधिसूचित और 3,435.33 करोड़ रुपए परिव्यय वाली इस स्कीम का लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सहायता प्रदान करना है। स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) से भुगतान में चूक होने की स्थिति में ई-बस प्रचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

6. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीमः** इस स्कीम को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा तथा तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25 प्रतिशत और पांचवे वर्ष के अंत तक 50 प्रतिशत का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

***